तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/12/19	पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0।

उभय पक्ष को सुना।

वादीनी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादिनी के क्रयशुदा विभाजित खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 301/64, व 308/64 रकबा क्रमशः 15.00 व 15.00 बीघा, कुल रकबा 30.00 बीघा, ग्राम नागणासर, पटवार मण्डल– झांफलीकला, तह0 शिव मे आये हुए है। वादिनी ने उक्त वादग्रस्त आराजी दिनांक 23.02.2006 व 17.07.2007 को दो पृथक–पृथक बेचान दस्तावेजो के जरिये क्रय की है। उक्त खेत बेचान दस्तावेज वादिनी के रिश्तेदारों द्वारा लिखवाये जाने के कारण वादिनी के घरेलू नाम का अंकन इन बेचान दस्तावेजो मे कर दिया गया तथा इन्ही बेचान दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद होने से राजस्व रेकर्ड मे भी वादीनी का सही नाम श्रीमती मीरादेवी पत्नी दूदाराम के स्थान पर घरेलू बोलचाल के हिसाब से गलत नाम वीरो देवी पत्नी दूदाराम अंकित करवा दिया तथा रजस्व रेकर्ड में भी वादीनी का नाम वीरो देवी पत्नी दूदाराम दर्ज कर दिया गया। अतः वादीनी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारि किये गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादीनी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पचहचान कार्ड, बिजली का बिल, वर्तमान जामाबन्दी, व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। वादीनी के सही नाम श्रीमती मीरादवी पत्नी दूदाराम के स्थान पर श्रीमती वीरोदेवी पत्नी दूदाराम दर्ज कर दिया गया है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नागणासर, पटवार क्षेत्र झांफली कला, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 301/64, 308/64 रकबा क्रमशः 15.00 व 15.00 बीघा, कुल रकबा 30.00 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम श्रीमती वीरो देवी पत्नी दूदाराम के स्थान पर मीरा देवी पत्नी दूदाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 172/2019
अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वदीनी	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमती मीरोदेवी पत्नी दूदाराम, जाति– सुथार, निवासी–नागणासर, तह० शिव		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 05.12.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि:–

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 301/64, 308/64 रकबा कमशः 15.00, 15.00 बीघा, कुल रकबा 30.00 बीघा, मौजा– नागणासर, पटवार मण्डल– झांफली कंला, तह० शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम श्रीमती वीरोदवी पत्नी दूदाराम के स्थान पर श्रीमती मीरादवी पत्नी दूदाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 05.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: